

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, थानागाव

उनवान लोदीया (पुजा फत्ता) सरपरस्त मु० नं० 134/2021

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	<p>30/5/22 - आज पट पंजावली राज्ज-सर्वकार द्वारा चलाये जा रहे अभियान "प्रशासन गावों के सैज फोल्डोमय अभियान-2022" शिक्ति स्थल भारत निर्माण राजीव गीधी सेवा केंद्र थानागावली तह-थानागावली पिका ठराने पर येमा हुके शिक्ति स्थल प्राची अधिकार उपा। प्राची अधिकार द्वारा हाल राजस्व-रिकॉर्ड खाता सं-298 मे वर्गित ख.न. मे दर्ज पविष्ठ शोकेश पुजा फत्ता सरपरस्त लोफली माता खुड के स्थान पर लोडेश पुजा फत्ता सरपरस्त लोफली माता खुड खुड दर्ज बिधा पाग निवेदन किया गया शिक्ति स्थल पर पंजावली मे ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण मे स्थलेक सरकार द्वारा प्रस्तुत जवाब मे अवेगत डरामा गया है कि प्राची का नाम राजस्व-रिकॉर्ड मे शोकेश पुजा फत्ता सरपरस्त सरपरस्त लोफली माता खुड दर्ज चला आ रहा है। अतः प्रकरण साक्ष्यो के आधार पर लोडेश पुजा फत्ता वालिक दर्ज बिधा पाग उचित है। (ये लया इससे राज्ज हित प्रभावित नही होता है) जवाब परेकण सरकार शामिल मिलल बिधा गया। बाद अवलोकन व मनन पाग गया कि प्राची द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजाल (आधार-कार्ड, पैन कार्ड, अडलाकिस), राशनकार्ड</p>

P.T.O.

नम्बर
अहकाम
की तारीख

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस हुक्म
की तारीख में जारी हुए

व पैरोका साकार दादा प्रस्तुत
जवाब मे उी गरि अनिरोधा के आधार
पर प्राची प्रमाण अन्तर्गत धारा
136 CR Act स्वीकार किया जाता
व्याप्योचित है।

अतः आदेश है कि .

प्राची प्रमाण अन्तर्गत धारा 136
L.R. Act स्वीकार किया जाता है एवं
राजत्व रिपोर्ट से कोटा स. 299 के
दर्ज प्रविष्टि रजिस्ट्रेशन पुत्र फत्ता संरक्षक
सरपस्त लोकली माता खुड के स्थान
पर दुरुस्ती कर लोडेशन पुत्र फत्ता
कालिग दर्ज किये जाने के आदेश
तहसीलदार, थानागाजी को दिये जाते हैं।
शेष प्रविष्टियाँ अभावत दर्ज रहे।
आदेश प्रति पाठनाथ हेतु संबन्धित
तहसीलदार को भिजवाई जावे।
तहरीर जारी है।

पत्रावली नम्बर से कर होकर बाद
पूर्ति जमा लेट्टु गणना है।

पह आदेश मेरे दादा लिखवाया जाये
हैनाम। व मुहा सुकर जारी किया जाके
शिवि स्थल पर मजमेमाम सुनाया जाये।

पीठासीन अधिकारी
प्राशासन गावों के संग अभियान-2021
कैम्प कोर्ट... थानागाजी